न्यायालय सहायक कलक्टर जहाजपुर जिला भीलवाडा

बईजलास – श्री उम्मेद सिंह राजावत, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 504/2018 (142/13)
दायर दिनांक :– 22.05.2013

अनवान

1. श्री पारस कुमार पिता रतनलाल जैन नि. बाजटा हा.मु. माल मोहल्ला देवली
2. श्री गोविन्द गोपाल पिता कृष्ण मुरारी मंगल नि. पेट्रोल चौराया देवली
3. श्रीमति सुनिता पत्नि गोविन्द गोपाल मंगल नि. पेट्रोल चौराया देवली

वादीगण.........

बनाम

1. श्री महावीर पिता रूपचन्द जैन नि. विवेकानन्द कॉलोनी देवली
2. तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादीगण......

:: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 आर. टी. ए. ::

उपस्थित अभिभाषक
1. श्री छीतर लाल रेगर, वकील वादीगण

:: निर्णय ::

दिनांक 17.03.2020

वादीगण का वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है की ग्राम हनुमाननगर प0 ह0 ऊँचा तह0 जहाजपुर में स्थित कृषि आ0 स0 619 रकबा 05.00 बीघा भुमि पर वादीगणो का कई वर्षो से निरन्तर निर्बाध रूप से शांतिपुर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। इस वर्ष वादीगण ने उक्त आराजी में उडद की फसल बौ रखी है जो पककर तैयार है। प्रतिवादी सं. 1 वादीगण की उक्त आराजी पर जबरन शक्ति के बल पर अवैधानिक रूप से कब्जा कर करना चाहते हैं और वादीगण को अपनी खेतो एव कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल करना चाहता हैं इसी आशय से प्रतिवादी सं. 1 दादागिरी के बल पर उक्त आराजियात में जे सी बी मशीन द्वारा डोल लगाकर निर्माण कार्य कर कब्जा छिनने पर उतारू है। प्रतिवादी सं. 1 दादागिरी के बल पर वादीगण की खातेदारी जमीन पर कब्जा कर अवैध रूप से भूखण्ड काटकर अन्य व्यक्तियों को प्लाट बेच देगा। और वादीगण को उनकी भूमि से बेदखल कर सकते हैं इस कारण प्रतिवादीगण के विरूद्व वादीगण को यह वाद पत्र पेश करने की आवश्यकता हुई हैं इस कारण प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना आवश्यक व न्यायसंगत हैं कि वे वादीगण को उसके हिस्से अनुसार उपयोग उपभोग में किस प्रकार का अवरोध उत्पन्न न करें करावे। जबकि स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से प्रतिवादीगण को कोई नुकसान नही हैं। प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा सर्वकालीन जारी करने में उनको किसी प्रकार का नुकसान नही है। जबकी वादीगण के पक्ष में ऐसी स्थाई निषेधाज्ञा जारी नही होने पर अपार क्षति होना व अनेक मुकदमे होना सम्भावित है। वादीगण स्थाई निषेधाज्ञा सर्वकालीन जारी करवाने की अधिकारी है। वादीगण के कब्जे काश्त में किसी [illegible] ही करने बाबत प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने [illegible]।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Rajawat
Date: 2020.09.04 14:11:10 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर

वादीगण का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण बावजुद सुचना के उपस्थित नही होने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

वकील वादीगण ने वादपत्र की ताईद में नकल जमाबन्दी सवंत 2069 से 2072 की नकल, नक्शा ट्रेस की प्रति पेश किये गये। जिसे शामिल फाईल किया गया।

वकील वादीगण की एक पक्षीय बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया। बाद अवलोकन से स्पष्ट है की वादीगण उपरोक्त वर्णित आराजियात के खातेदार काश्तकार है। जिसकी ताईद प्रस्तुत जमाबन्दी नकल से होती है। तथा प्रथम दृष्टया केश एवं सुविधा संतुलन वादीगण के पक्ष में है। जिसे न्यायालय वादीगण के वाद पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझता है।

अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय की जारी की जाती है की ग्राम हनुमाननगर प0 ह0 उँचा तह0 जहाजपुर में स्थित कृषि आ0 स0 619 रकबा 05.00 बीघा में वादीगण के हिस्से पर कब्जा काश्त में प्रतिवादी सं. 1 जबरदस्ती जे सी बी मशीन द्वारा डोल न लगावे, न ही वादीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार से उनके नौकरों व ऐजेन्टों रिश्तेदारो द्वारा दखलदांजी नही करे करावे, न ही कच्चा पक्का निर्माण कार्य करे करावे इस बाबत प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। पर्चा डिक्री मुर्तिब किया जावे। पक्षकार खर्चा अपना–2 वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 17.03.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

सहायक कलक्टर
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ummed Singh Rajawat
Date: 2020.09.04 14:11:10 IST
Reason: SelfAttested